पटना समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

आदेश फलक

श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर (सम्प्रति अंचल कार्यालय, पण्डारक) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही।

(संचिका संख्या–XXX-42/2008)

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति

श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर के विरूद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ के पत्रांक–2775 दिनांक–30.06.2008 एवं पत्रांक–1477 दिनांक–06.07.2009 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–3404 दिनांक–17.07.2008 एवं ज्ञापांक–1163 दिनांक–22.07.2009 से आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश दिया गया था।

श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती पर स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, लापरवाही, सरकारी कार्यो का निष्पादन ससमय नहीं करने तथा पूरक आरोप के रूप में स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता, सरकारी राशि का दुर्विनियोग एवं गवन की साजिश एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का घोर उल्लंघन का आरोप है।

विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री उमाकांत चौबे, अपर जिला दण्डाधिकारी, विशेष कार्यक्रम, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था एवं अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर प्रस्तोता पदाधिकारी बनाये गये थे।

श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोपों के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन किया गया। विभागीय कार्यवाही के सचांलन के पश्चात् संचालन पदाधिकारी ने अपने पत्रांक–216/वि0कार्य दिनांक–12.09.2012 के माध्यम से प्रतिवेदन तथा निष्कर्ष उपलब्ध कराया है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर के विरूद्ध प्रपत्र–क में गठित आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि ".....आरोपी श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती के द्वारा वर्ष 2007–08 की फसल क्षतिपूर्ति मद के अस्वीकृत अभिलेखों का चेक वर्ष 2007–08 की फसल क्षतिपूर्ति मद के स्वीकृत अभिलेखों का निर्धारित तिथि 31.03.2008 तक के अतिरिक्त चेक का भुगतान बैंक कर्मियों के साथ साठ–गाठ कर रेखांकित चेक पर अंकित नामका व्यक्ति स्वयं बन कर एवं हस्ताक्षर कर चेक में निहित राशि आरोपी श्री श्रीपति चक्रवर्त्ती के द्वारा प्राप्त की गई।....."

आरोप पत्र/पूरक आरोप पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण आरोपित कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा इस कार्यालय के ज्ञापांक–110 दिनांक–15.01.2013 से मांगी गयी थी। श्री चक्रवर्त्ती के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपित कर्मी का स्पष्टीकरण, द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

26/8/2013

आरोप का विवरण	आरोपित कर्मी का स्पष्टीकरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3
1. आपके द्वारा वर्ष 2007–08 की फसल क्षतिपूर्ति मद के अस्वीकृत अभिलेखों का चेक जो रोकड़ बही में दर्ज करने हेतु अपने पास रखा था। जो आवेदक के बदले स्वयं हस्तलिपि में आवेदक को हस्ताक्षर अंगूठा का निशान बनाकर चेक भुनाया। 2. आपके द्वारा वर्ष 2007–08 की फसल क्षतिपूर्ति मद के स्वीकृत अभिलेखों को निर्धारित तिथि 31.03.2008 तक के अतिरिक्त चेक जो रोकड़ बही सिखने के उद्देश्य से अपने पास रखा था, स्वयं अन्य लोगों के साथ मिली भगत कर भुगतान पंजी में प्राप्त किया/कराया। 3. आपने बैंक कर्मियों के साठ–गाठ कर रेखांकित चेक पर अंकित नाम का व्यक्ति स्वयं बनकर एवं हस्ताक्षर कर चेक में निहित राशि प्राप्त की। 4. पूरक आरोप प्रपत्र ''क'' (ii) के द्वारा श्री श्रीप्रति चक्रवर्ती के विरूद्ध आरोप गठित किया गया है कि आपने फसल क्षति अनुदान वितरण 2007 में अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षर कर–कर के मो0–2,60,872.00 रूपये कार्यालय खाता संख्या–11398553530 एस0बी0आई0 बख्तियारपुर से भुनाए तथा 30.03.2009 को इस राशि का जमा करने की सूचना एवं बैंक जमा पर्ची की अधकट्टी कार्यालय में दिये।	आरोपी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में दिया गया है कि फसल क्षतिपूर्ति मुआवजा का चेक वर्ष 2007–08 का रोकड़ में दर्ज था जो चेक अस्वीकृत नहीं था और न ही किसान आवेदक के बदले स्वयं अपना हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान बनाकर चेक को भुगतान जो बैंक के अभिलेख से स्पष्ट होगा। फसल क्षतिपूर्ति का स्वीकृत अभिलेखों को निर्धारित तिथि 31.03.2008 तक के अंकित चेक को ही मुखिया सरपंच अपने स्तर से वितरित करवाये। मैंने तो सिर्फ अपने वरीय पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के आदेश का पालन कर सिर्फ चेक वितरित किया जो बैंक मे उचित पहचानोपरान्त भुनाया गया है। आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि बैंक के कर्मचारी एक कुशल हस्ताक्षर/निशान को पहचान करने वाले होते हैं तथा मेरा हस्ताक्षर चेक पर भी बना हुआ था। ऐसी स्थिति में कहना गलत होगा कि मैंने अपने हस्ताक्षर व निशान से फसल क्षतिपूर्ति का मुआवजा वर्ष 2007–08 को चेक अपने लाभ के लिए भुनाया है। आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि मुझे इस बात का पता चला कि मेरे ऊपर गबन का मामला दर्ज हुआ है तो उक्त राशि को एस0बी0आई0, बख्तियारपुर में दिनांक 30.03.2009 को खाता सं0–11398553530 में 2,60,872.00 जमा कर दिया और प्राप्ति रसीद कार्यालय में जमा कर दिया।	श्री श्रीपति चक्रवर्ती के द्वारा वर्ष 2007–08 की फसल क्षति पूर्ति मद के अस्वीकृत अभिलेखों का चेक वर्ष 2007–08 की फसल क्षतिपूर्ति मद के स्वीकृत अभिलेखों का निर्धारित तिथि 31.03.08 तक के अतिरिक्त चेक का भुगतान बैंक कर्मियों के साथ साँठ–गाँठ कर रेखांकित चेक पर अंकित नाम का व्यक्ति स्वयं बनकर एवं हस्ताक्षर कर चेक में निहित राशि आरोपी श्री श्रीपति चक्रवर्ती के द्वारा प्राप्त की गई। गठित आरोप के साक्ष्य के रूप में अभिलेख में प्रस्तोता पदाधिकारी के द्वारा कोई भी प्रमाण समर्पित नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने चेक प्राप्त किया उनका हस्ताक्षर जाली है क्योंकि चेक का भुगतान विधिवत् सत्यापन के पश्चात संबंधित शाखा के द्वारा लाभान्वितों को की गई और गलत भुगतान के लिये शाखा प्रबंधन स्टेट बैंक बख्तियारपुर को स्वयं ही विधि सम्मत् कार्रवाई प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही जिन लोगों के नाम पर गलत भुगतान प्राप्त करने का अरोप है उनमें से किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। जो अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है। तथापि 2007–08 के अस्वीकृत अभिलेखों का जो चेक का भुगतान किया गया है वह निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता है क्योंकि जब अभिलेख ही अस्वीकृत हो गये तो बिना अभिलेख के पूर्व स्वीकृति के चेक तैयार नहीं किया जाना चाहिये था और लेखापाल एवं संबंधित सक्षम पदाधिकारी अंचलाधिकारी बख्तियारपुर के द्वारा चेक पर हस्ताक्षर किया जाना प्रशासनिक लापरवाही को भी उजागर करता है और यह वित्तीय नियमावली के विरूद्ध भी प्रतीत होता है। तथापि श्री चक्रवर्ती के द्वारा उनके विरूद्ध गठित पुरक आरोप प्रपत्र (II) में अंकित फसल क्षतिपूर्ति अनुदान 2007 में अनाधिकृत रूप से हस्ताक्षर कुट करके मो0 2,60,872 रूपया को कार्यालय खाता सं0 11398553530 भारतीय स्टेट बैंक बख्तियारपुर से भुनाया जाना और पुनः दिनांक 30.03.09 को इस राशि को संबंधित

		खाता में जमा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री श्रीपति चक्रवर्ती के द्वारा भुगतान की गई राशि को गलत लोगों को अनाधिकृत भुगतान प्राप्त करने का कार्य माना गया अन्यथा यदि भुगतान सही और विधिवत् किया गया होता तो श्री चक्रवर्ती सही भुगतान किये जाने को प्रमाणित करते। यदि उन्होंने स्वयं ही हस्ताक्षर कुटकर इस राशि की गलत निकासी स्वयं नहीं प्राप्त की फिर भी अनाधिकृत भुगतान अथवा गलत भुगतान के लिये श्री चक्रवर्ती उत्तरदायी समझे जा सकते है।	

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि आरोपित कर्मी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य पाये गये हैं। आरोपित कर्मी ने अपने ऊपर सरकारी राशि के गवन की प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उक्त गवन की गई राशि सरकारी कोष में जमा करने की बात अपने द्वितीय कारण पृच्छा में अंकित की है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा सरकारी राशि का गवन एवं दुर्विनियोग किया गया था। श्री चक्रवर्ती द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकारयोग्य नहीं है, चूंकि श्री श्रीपति चक्रवर्ती का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन है तथा यह घोर आपराधिक कृत्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित 2007) के नियम 14** के तहत् निहित शास्तियाँ के आलोक में मैं डॉ0 एन0 सरवण कुमार, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पटना **श्री श्रीपति चक्रवर्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर, सम्प्रति अंचल कार्यालय, पण्डारक को आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।**

श्री श्रीपति चक्रवर्ती, लिपिक से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1.	नाम	श्री श्रीपति चक्रवर्ती
2.	पिता का नाम	स्व0 सरयुग नारायण ठाकुर
3.	पदनाम	लिपिक
4.	जन्म तिथि	02.02.1974
5.	नियुक्ति की तिथि	22.09.1995
6.	वेतनमान	5200–20200
7.	स्थायी पता	पंचशील नगर, वार्ड सं0–13, पो0+थाना–बाढ़ जिला–पटना
8.	वर्तमान पता	लिपिक अंचल कार्यालय, पण्डारक

सभी संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं शुद्धित

समाहर्ता,
पटना।

समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक.XXX-42/08-2927 /स्था0, पटना, दिनांक 26/08/13

प्रतिलिपि :– श्री श्रीपति चक्रवर्ती, लिपिक, अंचल कार्यालय, बख्तियारपुर, सम्प्रति अंचल कार्यालय, पण्डारक स्थायी पता– पंचशील नगर, वार्ड सं0–13, पो0+थाना–बाढ़ जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–समाहर्ता, पटना।

ज्ञापांक.XXX 42/08-2927 /स्था0, पटना, दिनांक 26/08/13

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, पटना को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पटना/अपर समाहर्ता, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अंचल अधिकारी, पटना जिला/जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारीगण/सभी कोषागार पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यवाहक लिपिक, कनीय लेखा लिपिक संवर्ग/विपत्र लिपिक, जिला स्थापना शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रकाशनाथ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–समाहर्ता, पटना।